न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 89/17 GCMS NO 2017/00131

मधुसूदन पुत्र जवाहर लाल जाति चर्तुवेदी निवासी बरपाडा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. देवीनारायण
2. सुरेश चंद पुत्रान प्रभूलाल जाति महाजन
3. मुन्नी देवी बेवा रघुवीर प्रसाद
4. हेमेन्द्र
5. रामबाबू
6. संतोष पुत्रान रघुवीर
7. इन्द्रा
8. संतरा
9. उषा पुत्रियान रघुवीर प्रसाद
10. गोविन्द
11. प्रकाश पुत्रान हरिचरण सभी जातियान महाजन निवासीयान भूडारा बाजार करौली तहसील व जिला करौली
12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 112/17 GCMS NO 2017/00148

मधुसूदन पुत्र जवाहर लाल जाति चर्तुवेदी निवासी बरपाडा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. देवीनारायण
2. सुरेश चंद पुत्रान प्रभूलाल जाति महाजन
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली

रेस्पो0

(अपीले विरूद्व मु0नं0 173/97 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.9.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामजीलाल अग्रवाल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री विष्णु चंद बंसल

दिनांक 23.6.25

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा [illegible] निर्णय व डिक्री दिनांक 4.9.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पे[illegible]

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधि[illegible] में रेस्पो0 संख्या [illegible] के पिता प्रभूलाल ने दावा 88 आर टी एक्ट इस आशय का पेश कि[illegible] कि आराजी खसरा [illegible]4

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रकबा 13 विस्वा , 4635 रकबा 1 विस्वा गैर मुमकिन चाह स्थित कस्बा करौली वादी व प्रतिवादी न0 2 ता 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी न0 2 ता 4 के 1/2 हिस्सा है। खसरा न0 4634 वगीची नुमा है। जिसमे फलदार व गैरफलदार वृक्ष वादी लगे हुए है। खसरा न0 4635 चाह से ख0न0 4634 मे होकर ख0न0 4633 मे होती हुई खसरा न0 4646 को पाईप लाईन सिचाई हेतु डली हुई है। जौ मौके पर स्थित है। जिसके द्वारा खसरा न0 4646 की सिचाई होती रही है। ख0न0 4646 व 4632 के मध्य होकर खसरा न0 4633 मे होते हुए है जो रास्ता हमेशा का है। रास्ता होना प्रतिवादी न0 1 द्वारा स्वीकृत तथ्य है। वादी से प्रतिवादी न0 1 रंजिश रखता है व पूर्व मुकदमाबाजी चल रही है। प्रतिवादी न0 1 लडाकू एवं सहजोर पैसे वाला है। असामाजिक तत्वो से मिला हुआ है। प्रतिवादी न0 1 आये दिन लडाई झगडा करता रहता है। प्रतिवादी न0 1 ने कुछ असामाजिक तत्वो के साथ मिलकर दिनांक 8.11.97 को वादी के खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा न0 4634 मे जबरन लठठ व बाहूबल की ताकत पर अनाधिकार नीव खोदना प्रारंभ कर दिया वादी ने मना किया तो जान से मारने पर आमादा हो गया। इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना करौली मे 552/97 धारा 447 आई पी सी मे दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस थाना करौली द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया। परन्तु प्रतिवादी न0 1 नही माना और अनाधिकृत तौर से जबरन लठठ की ताकत से राजकीय अवकाश का अनुचित लाभ उठाते हुए नीव खोदकर निर्माण कर दिया एवं आराजी ख0न0 4634 मे वादी के लगे हुए हरे वृक्ष के 8–9 बृक्ष काट दिये और लकडी की शाखाओ को प्रतिवादी न0 1 चारी की नियत से ले गया तथा ट्रेक्टर से पेडो के निशानात तक मिटा दिये और जबरन बाउन्ड्री बाल निर्माण कर दी। और रास्ता ख0न0 4646 को अवरूद्व कर दिया। जिसका प्रतिवादी न0 1 को कोई अधिकार नही था। इस प्रकार वादी के अधिकारो पर भारी आधात है तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति व भारी असुविधा है। प्रतिवादी न0 1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादी न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि खसरा न0 4634 स्थित कस्बा करौली मे उसके द्वारा बनाई गई अनाधिकृत दीवार को अपने खर्चे से हटवाया जावे तथा प्रतिवादी न0 1 को पाबन्द किया जावे कि खसरा न0 4634 रकबा 13 विस्वा स्थित कस्बा करौली मे वादी के कब्जे काश्त के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा व मदालखत ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। वादी को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 1 व 2 के पिता द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से एवं प्रतिवादी न0 2 ता 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विरूद्व प्रतिवादी न0 1 स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह दोनो अपीले अलग अलग इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। इस उभयपक्ष अभिभाषको की अपीलो पर सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर .....

Scanned with CamScanner

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर आई साक्ष्य व दस्तावेजो का भली भॉति अवलोकन किये बगैर दावा वादीगण डिक्री किये जाने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकार क्षैत्र के बाहर आदेशात्मक आदेश देने मे कानूनी भूल की है। क्योकि आदेशात्मक आदेश केवल दीवानी अदालत ही दिये जाने के लिए अधिकृत है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। आराजी खसरा न0 4646 वाके कस्बा करौली जिसको रेस्पो0 ने दीगर व्यक्तियो को विकय कर इसमे मकानात बन चुके है एवं आराजी ख0न0 4635 गैर मुमकिन चाह मे कोई विधुत मोटर सिचाई साधन के लिए स्थापित नही है ना ही इस चाह से ख0न0 4646 तक पानी जाने के लिए कोई पाईप लाईन स्थित है। इस संबंध मे अपीलांट की और से समुचित साक्ष्य दस्तावेजी रिकार्ड अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने के बाद भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसके स्पष्टीकरण के लिए तहसीलदार करौली द्वारा मौका निरीक्षण करने बाबत कोई कार्यवाही अमल मे ना लाकर विधि के विरूद्व दावा वादी आदेशात्मक सहित डिक्री किये जाने मे कानूनी भूल की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण की जबानी साक्ष्य पर भरोससा करके व प्रतिवादी की दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अंदाज कर निर्णय दिया है जो निरस्त योग्य है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 20.7.99 की पालना मे रास्ते की जगह निश्चित किये जाने के बाबजूद दीवार मार्क ए से बी आराजी ख0न0 4633 जो अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मे होते हुए हटाये जाने का आदेशात्मक आदेश बिलकुल गैर कानूनी है। इसकी सही स्थिति नाप होने के बाद ही स्पष्ट होती जिसके बाबत अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के निवेदन पर गौर ना करके दावा वादी अपीलांट के खिलाफ डिक्री किये जाने मे कानून भूल की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व फौजदारी प्रकरण रेस्पो0 द्वारा करने पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा झूठा मानने के बाबजूद और न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाबजूद उसका गलत मूल्यांकन करते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त योग्य है। आराजी ख0न0 4646 को रेस्पो0/वादी द्वारा विकय किये जाने का तथ्य मौके के अनुसार प्रमाणित नही होने के बाबजूद इस खसरा न0 मे काश्त होना गलत दर्ज किया है क्योकि यह खसरा न0 तो वादी द्वारा दीगर व्यक्तियो को विकय कर मकानात बनाये जा चुंके है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यो को नजर अंदाज कर दावा वादी डिक्री किये जाने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त योग्य है। अपीलांट ने दावे मे अपना काउन्टर क्लेम पेश किया है जिसको मात्र यह कहकर कि जमाबंदी प्रस्तुत नही की है गलत आधार लेकर काउन्टर क्लेम अपीलांट/प्रतिवादी निरस्त करने मे कानूनी भूल की है। क्योकि रिकार्ड पर खसरा गिरदावरी लोक दस्तावेज है। जिसको खातेदारी का आधार ना [illegible] काउन्टर क्लेम अपीलांट खारिज करने मे विधि की भूल की है। अधिनस्थ [illegible] संख्या 2 ता 4 का कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत न होते हुए भी प्रतिवादी [illegible] अपीलांट के विरूद्व डिक्री किये जाने का आदेश गैर कानूनी है। जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 4.9.17 निरस्त फरमाया जाकर दावा वादी खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी खसरा न0 4634 रकबा 13 बिस्वा, 4635 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह स्थित कस्बा करौली वादी व प्रतिवादी न0 2 ता 4 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा है व प्रतिवादी न0 2 ता 4 के 1/2 हिस्सा है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात को रेस्पो/वादी द्वारा गैर व्यक्तियो को बेचान कर दिया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या एवं मनगढन्त है। विवादित आराजीयात आज भी वादीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजीयात के आवागमन का एक मात्र रास्ता खसरा न0 4633 मे होकर जाता है। जो न्यायालय द्वारा तय शुदा रास्ता है। खसरा न0 4634 व 4633 आपस मे जुडे हुए है। रास्ता भूमि खसरा न0 4633 मे है जो खसरा न0 4646 पर जाने के लिए है। उक्त रास्ते को अपीलांट द्वारा अवरूद्व किया गया है। जिसका उसको कोई अधिकार हासिल नही है। रास्ते को अपीलाट द्वारा अवरूद्व किया जाना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य के उपरान्त सिद्व माना है कि अपीलांट द्वारा रास्ते को अवरूद्व किया गया है। जिसका उसको कोई अधिकार हासिल नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य लेने के पश्चात तथा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर ही वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात पर अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से दीवार बनाया जाना भी माना है। उक्त विवादित भूमि के प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 संयुक्त खातेदार होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से साबित होने पर ही स्वीकार किया गया है। क्योकि विवादित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार है यदि उनके आवागमन का रास्ता अपीलांट द्वारा अवरूद्व किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को अनावश्यक परेशानी उत्पन्न होगी। अपीलांट द्वारा अपने काउन्टर क्लेम को राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य से साबित नही करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट का काउन्टर क्लेम विधिवत रूप से खारिज किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं वादी एवं प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन करते हुए तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी को विचरित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेशात्मक नही होकर विधिक निर्णय है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

दोनो अपीलो मे विवादित आराजीयात समान [illegible] दोनो अपीलो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा आराजी खसरा न0 4634 रकबा 13 बिस्वा वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कस्बा करौली मे प्रतिवादी न0 1 /अपीलांट द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि पर जबरन फलदार एवं गैरफलदार वृक्षो को नाजायज रूप से नष्ट किये जाने एवं बिना किसी अधिकार के पक्का निर्माण करने के कारण धारा 88 आर टी एक्ट के तहत दावा पेश किया गया था। अपीलांट का कथन रहा कि वे भूमि खसरा न0 4633 के रिकार्डेड खातेदार है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है। यहॉ यह देखने का विषय है कि पक्षकारो के मध्य विवाद किस खसरा न0 की भूमि को लेकर है। यह स्वीकृत तथ्य है कि पक्षकारो के मध्य विवाद भूमि खसरा न0 4633 को लेकर है ही नही। पक्षकारो के मध्य विवाद भूमि खसरा न0 4634 को लेकर है। भूमि खसरा न0 4634 पर अनाधिकृत रूप से अपीलांट/प्रतिवादी न0 1 द्वारा पक्का निर्माण किये जाने को वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य के विवेचन से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। उक्त भूमि के आवागमन हेतु रास्ते के संबंध मे माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली द्वारा दिनांक 20.7.99 को निर्णय पारित किया जा चुका है। भूमि खसरा न0 4634 मे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 संयुक्त खातेदार काश्तकार है जो राजस्व रिकार्ड से साबित है। यदि अपीलांट द्वारा अवैधानिक रूप से विवादित आराजीयात मे किसी प्रकार की मजाहमत की जाती है तो स्वाभाविक है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के भी अधिकार प्रभावित होते है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को अपूर्णनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड तथा वादी एवं प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही वादी का वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री विधि के सिद्वान्तो के अनुरूप ही पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने के कारण उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के मु0नं0 173/97 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 4.9.17 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:21:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner